आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः इंडिया रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266, शाखा कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासारवदावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–400607 (महाराष्ट्र)

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें]

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 31–01–2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं वीणा रघुबीर शर्मा (रघुबीर चमनलाल शर्मा के उपलब्ध विधिक उत्तराधिकारी की क्षमता के तहत), वीणा रघुबीर शर्मा, मैसर्स स्काई किंग्स कॉर्पोरेशन को सूचना में अंकित राशि रु. 2,49,23,072.05/– (रुपये दो करोड़ उनचास लाख तेईस हजार बहत्तर एवं पांच पैसे मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत 05 अप्रैल 2023 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 2,49,23,072.05/– (रुपये दो करोड़ उनचास लाख तेईस हजार बहत्तर एवं पांच पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर नियत ब्याज हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 1601 के समस्त वह भाग तथा अंश जो दीनानाथ, सीएचएसएल–आईटीयूएस के रूप में है, जिसका अधिमापन 890 वर्ग फुट कॉर्पेट क्षेत्रफल 82.68 वर्ग मीटर के बराबर है, जो सोलहवें आवासीय तल पर, बिल्डिंग नं. ए पर विद्यमान है जिसका सीटीएस नंबर 825/1/4 है, जो प्लॉट नं. 14, सर्वे नं. 111–डी, ग्राम अंबिवली तालुका अंधेरी, मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित और के/डब्ल्यू वार्ड के तहत मूल्यांकित, अंबिवली के राजस्व ग्राम, बांद्रा जिला बॉम्बे उपनगरीय, अंधेरी (प.), मुंबई 400053 के पंजीकरण उप–जिला के अंतर्गत स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित हैः पूर्व– 40' चौड़ी आंतरिक लेआउट रोड,0 पश्चिम– भूमि और भवन का प्लॉट न्यू विकास सीएचएसएल, उत्तर– प्लॉट नंबर 13 म्हाडा लेआउट के रूप में, दक्षिण– प्लॉट नंबर 15 व 16 म्हाडा लेआउट के अनुसार।

दिनांक : 05–04–2023 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मुंबई आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 **सीआईएन** : U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(याँ) बन्धक रखी गयी हैं।

अनुबंध सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रु.*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
TCHHL 0350000100084522	श्री प्रणव शर्मा (कर्जदार) तथा श्रीमती गरिमा शर्मा (सह-कर्जदार)	27/03/2023 तक राशि रु. 36,03,071/- (रुपये छत्तीस लाख तीन हजार इकहत्तर मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. TCHHL0350000100084522 के तहत बकाया एवं देय है।	28-03-2023 / 07-11-2022

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः तल-8 पर आवासीय फ्लैट नं. 802 का समस्त भाग, टॉवर ट्रान्स में, टाइप-2बीएचके, माप 1060 वर्ग फीट, 'रिदम सीकाउंटी' कॉम्पलेक्स, प्लॉट नंबर जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर- 201308 में स्थित, पार्किंग स्थान और बिल्डर खरीदार समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाओं सहित।

9756691	श्री मुदित मिश्रा (कर्जदार) तथा श्री बजेन्द्र कुमार मिश्रा एवं श्रीमती पारुल द्विवेदी (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 47,59,234/- (रुपये सैंतालीस लाख उनसठ हजार दो सौ चौंतीस मात्र)	29-03-2023 / 08-12-2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः छठीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट संख्या 604, टॉवर ट्रान्स, सुपर एरिया 1280 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट 'रिदम सीकाउंटी', प्लॉट नंबर जीएच-16 ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित और बिल्डर क्रेता एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं

9826346 & 9830089	श्री जितेन्द्र सिंह (कर्जदार) तथा श्रीमती आशू चौधरी (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 48,61,241/- (रुपये अड़तालीस लाख इकसठ हजार दो सौ इकतालीस मात्र) आपके द्वारा अनुबंध सं. 9826346 के तहत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. 1,74,356 /- (रुपये एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ छप्पन मात्र) आपके द्वारा अनुबंध सं. 9830089 के तहत देय एवं बकाया है, कुल रु. 50,35,596/- (रुपये पचास लाख पैंतीस हजार पांच सौ छियानबे मात्र)	29-03-2023 / 08-12-2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 12 वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट नंबर 1203 का समस्त भाग, टॉवर ट्रांस में, माप 1280 वर्ग फुट सुपर एरिया, आवासीय कॉम्पलेक्स रिदम सीकाउंटी के रुप में जाने वाले आवासीय परिसर में कार पार्किंग स्पेस के साथ, प्लॉट नंबर जीएच-16 ई, सेक्टर -1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित, बिल्डर खरीदार समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9818766	श्री अशोक कुमार यादव (कर्जदार) तथा सुश्री मीरा यादव (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 40,24,529/- (रुपये चालीस लाख चौबीस हजार पांच सौ उनतीस मात्र)	29-03-2023 / 08-12-2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 22 वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट संख्या 2204 का समस्त भाग, टॉवर ट्रान्स, सुपर एरिया 1280 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रिदम सीकाउंटी में प्लॉट नंबर जीएच-16 ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित और बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं

9724195	श्री तपाशा रंजन नायक (कर्जदार) तथा सुश्री मधुस्मिता नायक (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 39,33,964/- (रुपये उनतालीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ चौंसठ मात्र)	29-03-2023 / 08-12-2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 11वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट सं. 1106 का समस्त भाग, टॉवर ट्रांस, सुपर एरिया 1060 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रिदम सीकाउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित तथा बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं।

9553784	श्री श्रीकांत चन्द्रशेखर पुजारी उर्फ श्रिकांत चन्द्रशेखर पुजारी (कर्जदार) तथा श्री श्रीनाथ पुजारी (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 37,80,760/- (रुपये सैंतीस लाख अस्सी हजार सात सौ साठ मात्र)	29-03-2023 / 09-11-2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 10वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट सं. 1005 का समस्त भाग, टॉवर ट्रांस, सुपर एरिया 1080 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रिदम सीकाउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित तथा बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं।

9816225	श्री राहुल शर्मा (कर्जदार) तथा श्री सुरेश कुमार शर्मा (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 39,17,051/- (रुपये उनतालीस लाख सत्रह हजार इक्यावन मात्र)	29-03-2023 / 07-01-2021

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 22वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट सं. 2203 का समस्त भाग, टॉवर ट्रांस में कार पार्किंग सहित, सुपर एरिया 1280 वर्ग फीट, आवासीय कॉम्पलेक्स रिदम सीकाउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित तथा बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं।

9555001	श्री रतिकांत सामल (कर्जदार) तथा श्री प्रियरंजन सामल (सह-कर्जदार)	28/03/2023 तक राशि रु. 29,17,988/- (रुपये उनतीस लाख सत्रह हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र)	29-03-2023 / 07-01-2021

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरणः 8वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट सं. 805 का समस्त भाग, टॉवर ट्रांस, सुपर एरिया 1080 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रिदम सीकाउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 में स्थित तथा बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाएं।

*उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामों के लिए पूर्ण रूप से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

तिथि : 07.04.2023 ह./– अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दक्षिण रेलवे

गति शक्ति यूनिट, चेन्नई मंडल

ई-निविदा सूचना सं. MAS 07/2023 तिथिः 04.04.2023

क्रम सं.	मद सं.	विवरण	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	MAS07OF23015GS	अमृत भारत स्टेशन योजना-फेज-1 के अंतर्गत चैन्नई मंडल के सैंट थॉमस माउन्ट रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास	25.04.2023 @ 11.30 Hours
2	MAS07OF23016GS	अमृत भारत स्टेशन योजना-फेज-1 के अंतर्गत चैन्नई मंडल के अम्बात्तुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास	
3	MAS07OF23017GS	अमृत भारत स्टेशन योजना-फेज-1 के अंतर्गत चैन्नई मंडल के तिरुत्तानी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास	
4	MAS06OF23018GS	अमृत भारत स्टेशन योजना-फेज-1 के अंतर्गत चैन्नई मंडल के गोडुवनचेरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास	26.04.2023 @ 11.30 Hours

सम्पूर्ण विवरण एवं निविदा दस्तावेज https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध होंगी।

उप सीई/जीएस/एमएएस
मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय, चेन्नई-03

Follow us on : twitter.com/GMSRailways

डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

7/56, 'ए' सेट हाउस, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्लीः 110005

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)]

कब्जा सूचना

(अचल सम्पति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.8.2022 जारी कर मै. श्री गणेश पल्प एंड पेपर प्रा. लि. (द्वारा उसके निदेशक श्री रवि मित्तल) तथा मै. श्री गणेश पल्प एंड पेपर प्रा. लि. (द्वारा उसके निदेशक श्रीमती मुस्कान गोयल) को उक्त सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 70,01,332.73/- (रु. सत्तर लाख एक हजार तीन सौ बत्तीस एवं पैसे तिहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 29 मार्च 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का तथा इन सम्पत्तियों का किसी का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 76,80,938.03/- तथा उस पर ब्याज के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ए-20/5, मैन चेतराम गली मौजपुर, नई दिल्ली-110053 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 7.4.2023 हस्ता./-
स्थानः नई दिली प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

HDFC BANK

We understand your world

विशेष प्रचालन विभाग – 5वां तल, भूखंड सं. 1, अंसल क्लासिक टॉवर, ब्लॉक जे, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

मांग सूचना – सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता, गारंटर(रों) और बंधककर्ता(ओं), जिन्होंने एचडीएफसी बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के प्रति–भुगतान में चूक कर दी है और जिनके ऋण खाता को 03–सितंबर–2022 को अनार्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर 08–फरवरी–2023 को मांग सूचनायें निर्गत की गयी थीं, परंतु उनमें से कुछ सूचनायें प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुये बिना ही वापस लौट आयीं, इसलिये उनको सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

उधारकर्ता का नाम : 1. मैसर्स शक्ति प्लस इंडस्ट्रीज स्वामी श्री राजेंद्र कुमार मलहोत्रा, भूखंड सं. 1, फेज II, बादली औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110042

गारंटर/बंधककर्ता का नाम : 2. श्री राजेंद्र कुमार मलहोत्रा पुत्र श्री राम दास मलहोत्रा, एसडी–214, टॉवर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110088, 3. श्रीमती किरण मलहोत्रा पत्नी श्री राजेंद्र कुमार मलहोत्रा, एसडी–214, टॉवर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110088

गारंटर का नाम : 4. श्रीमती नेहा मलहोत्रा पत्नी श्री अंकुश मलहोत्रा, एसडी–214, टॉवर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110088, 5. श्रीमती कनिका मलहोत्रा पत्नी श्री रोहित मलहोत्रा, एसडी–214, टॉवर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110088

चल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का विवरण	निम्न से संबंधित परिसंपत्ति
समस्त वर्तमान तथा भावी स्टॉक्स और बुक डेब्ट्स पर एक्सक्लूसिव प्रभार के माध्यम से दृष्टिबंधन	मैसर्स शक्ति प्लस इंडस्ट्रीज, श्री राजेंद्र कुमार मलहोत्रा की स्वामित्वधारक फर्म

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	निम्न के स्वामित्वधारण में
औद्योगिक संपत्ति जो खसरा सं. 177 ख. (पुरानी खसरा सं. 1395/1) के भाग की संरचना करती है, जिसका अधिमापन 0.1160 हेक्टेयर्स है, जो मौजा छारबा, परगना पचवादून, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून–248197 में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– जनार्द्दन प्लाईवुड फैक्टरी, पश्चिम– सड़क 12 फुट चौड़ी, उत्तर– घूंघर सिंह की संपत्ति, दक्षिण– खंदार फैक्टरी	श्री राजेंद्र कुमार मलहोत्रा तथा श्रीमती किरण मलहोत्रा
सूचना की तिथि : 08–फरवरी–2023	एनपीए की तिथि : 30–सितंबर–2022

बकाया राशि (08–फरवरी–2023 के अनुसार): रु. 2,97,49,043.70/– (रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख उनचास हजार तैंतालिस एवं सत्तर पैसे मात्र) की राशि तथा इस पर 09–फरवरी–2023 से संविदागत दर के अनुसार भावी ब्याज देय एवं भुगतानयोग्य है।

उपरोक्त नामित उधारकर्ता तथा / अथवा उनके गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें, भुगतान करने में विफल रहने पर सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत 60 दिवसों के समापन के उपरांत भावी कार्रवाइयां की जायेंगी।

दिनांक : 07–04–2023 कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,
स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

HDFC BANK

We understand your world

विशेष प्रचालन विभाग – 5वां तल, भूखंड सं. 1, अंसल क्लासिक टॉवर, ब्लॉक जे, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

मांग सूचना – सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता, गारंटर(रों) और बंधककर्ता(ओं), जिन्होंने एचडीएफसी बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के प्रति–भुगतान में चूक कर दी है और जिनके ऋण खाता को 03–जून–2022 को अनार्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर 06–मार्च–2023 को मांग सूचनायें निर्गत की गयी थीं, परंतु उनमें से कुछ सूचनायें प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुये बिना ही वापस लौट आयीं, इसलिये उनको सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

उधारकर्ता का नाम : 1. मैसर्स श्री राम केमिकल्स एंड मेटल्स स्वामी श्री राजीव कुमार सिंगला, दुकान सं. 1, डागर भवन, सेक्टर 59, जजरू मोड़, विकास फिलिंग स्टेशन के समीप – झारसैंतली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004, हरियाणा

गारंटर/बंधककर्ता का नाम : 2. श्री राजीव कुमार सिंगला पुत्र श्री ज्ञान चंद सिंगला, 154, मनसा रेजिडेंसी, ग्राम औरंगाबाद, जनपद पलवल–121105, हरियाणा

गारंटर का नाम : 3. श्री सचिन सिंगला पुत्र श्री राजिंदर सिंघला, मकान नं. 399, वार्ड नं. 1, पलवल, हरियाणा–121102

चल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का विवरण	निम्न से संबंधित परिसंपत्ति
समस्त वर्तमान तथा भावी स्टॉक्स और बुक डेब्ट्स पर एक्सक्लूसिव प्रभार के माध्यम से दृष्टिबंधन	मैसर्स श्री राम केमिकल्स एंड मेटल्स, श्री राजीव कुमार सिंगला की स्वामित्वधारक फर्म

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	निम्न के स्वामित्वधारण में
आवासीय भूखंड सं. 154 माप 108.80 वर्ग गज, जो मनसा रेजिडेंसी ग्राम औरंगाबाद, तहसील होडल, जनपद पलवल, हरियाणा में स्थित हैं	श्री राजीव कुमार सिंगला
सूचना की तिथि : 06–मार्च–2023	एनपीए की तिथि : 03–जून–2022

बकाया राशि (06–मार्च–2023 के अनुसार): रु. 66,90,121.98/– (रुपये छियासठ लाख नब्बे हजार एक सौ इक्कीस एवं अट्ठानबे मात्र) की राशि तथा इस पर 07–मार्च–2023 से संविदागत दर के अनुसार भावी ब्याज देय एवं भुगतानयोग्य है।

उपरोक्त नामित उधारकर्ता तथा / अथवा उनके गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें, भुगतान करने में विफल रहने पर सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत 60 दिवसों के समापन के उपरांत भावी कार्रवाइयां की जायेंगी।

दिनांक : 07–04–2023, स्थान : नई दिल्ली कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

दक्षिण रेलवे

कार्य शाखा, मदुरई मंडल

निविदा सूचना सं. एमडीयू–डब्ल्यू–06–2023 तिथि 04.04.2023

मंडल रेलवे प्रबंधक/कार्य/दक्षिण रेलवे/मदुरई द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है। मद सं. 1 से 9 के लिये निविदा बंद होने की तिथि 27.04.2023 के 14.00 बजे है।

क्रम. सं.	कार्य का नाम	अनु. मूल्य रु. लाख में	ईएमडी (रु. में)	पूर्णता अवधि
1	मदुरई मंडलः वरिष्ठ खंड अभियंता/पर्मानेन्ट वे/मानापरई एवं डिण्डुगुल खंड में विभिन्न ट्रैक नवीकरण कार्यों के सिलसिले में रेलवे वैगन्स में लोडिंग अन्लोडिंग तथा स्प्रेडिंग सहित बड़ामदुराई डिपो में 50 एमएम मशीन क्रश्ड स्टोन बैलास्ट का प्रस्तावित संग्रहण तथा आपूर्ति।	286.54	293300	6 माह
2	मदुरई मंडलः पलयमकोट्टई एवं अलवर तिरुनगरी स्टेशनों पर स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण।	58.73	117500	5 माह
3	तेनकासी-कोल्लम खंडः वरिष्ठ खंड अभियंता/पर्मानेन्ट वे पुनालुर खंड में पुलानुर एवं कोल्लम स्टेशनों के बीच 37 सेट्स प्वाइन्ट्स एवं क्रॉसिंग्स सहित कुल 28.650 कि.मी. की लम्बाई में कि.मी. 728.000 से 760.150 तक आइसोलेटेड लोकेशनों पर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन द्वारा वर्तमान ट्रैक बैलास्ट के डीप स्क्रीनिंग के लिये प्रस्तावित अनुषांगिक कार्य।	70.78	141600	6 माह
4	मदुरई में वर्तमान पिट लाईन नं. 3 एवं 4 में ओएचई वायरिंग के साथ वन्देभारत ट्रेनसेट रखरखाव सुविधाऐं।	33.24	66500	3 माह
5	एसएसई/वर्क्स/मदुरई खंडः दो वर्षो के लिये आवधिक सफाई ओएचटी (ओवर हेड टैंक्स) जीएलआर (ग्राउण्ड लेवल रिजर्वायर्स) एवं वैयक्तिक वाटर टैंक्स (सफाई की आवृत्ति 6 माह में)	30.31	60600	24 माह
6	एडीईएन/करईकूडी उप मंडल एसएसई/पी.वे./पुडुकोट्टई, सिवगंगा एवं मंडपम क्षेत्राधिकारः 24 माह की अवधि के लिये तिरुचिरापल्ली, करईक्कुडी-परमकुडी एवं परमकुडी-रामेश्वरम स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के लिये पेयजल की आपूर्ति।	29.78	59600	24 माह
7	मदुरई जं.: दो वर्षो की अवधि के लिये स्टाफ क्वार्टरों एवं सेवा भवनों का अनिवार्य तात्कालिक मरम्मत।	97.52	195000	24 माह
8	मदुरई मंडलः वरि. डीईएन/सी/एमडीयू क्षेत्राधिकार-शोलावन्दन एवं राजागम्बीरम स्टेशनों (2 स्टेशनों) पर अतिरिक्त पीएफ शेल्टर्स (2 बेज) का प्रावधान।	48.95	97900	6 माह
9	रेलवे हॉस्पीटल/मदुरईः ओपी ब्लॉक में लिफ्ट (6 व्यक्तियों की वाहक सुविधा) का प्रावधान	8.61	17200	4 माह

(मद 09 मात्र): विस्तृत विवरण वेबसाईट **https://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। मदुरई मंडल में कार्यो के लिये ई-निविदा के लिये आवेदन करने के ल